

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जांरी हुए

शिमशु कुत्र बनाम मूलचन्द
प्रा. पत्र 212 आर. टी. एक्ट

22.7.13 आज यह प्रा. पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट का वकील प्रार्थी ने अप्रार्थिगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थिगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी विवादित हाल ख. सं. 122/2145 रकबा 1.00 है. वाके ग्राम बल्देष्णढ तह. राजगढ मे स्थित है को तरफ पश्चिम की डोल को तोडकर अपनी आराजी मे न मिलाये न मिटटी पत्थर की डोल कर बाढ लगाकर अपना कब्जा नही करे । न वादी व तर. प्रति. के कब्जे काश्त मे कित्ती प्रकार का व्यवधान नही करे । साथ मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रा. पत्र प्रार्थी शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुये अप्रार्थिगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दि. 22/7/13 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी को तरफ पश्चिम की डोल को तोडकर अपनी आराजी मे न मिलाये न मिटटी पत्थर की डोल कर बाढ लगाकर अपना कब्जा नही करे । कार्य काश्त प्रार्थी व तर. प्रति. मे कित्ती प्रकार की सकावट वो मजाहमत पैदा न करे । साथ मे नोटिस भी जारी हो कि इस तम्बन्ध मे उन्हे कोई स्तराज हो तो दि. 22/7/13 को उपस्थित होकर पेश करे । दर्ज हों ।

उप खण्ड अधिकारी, राजगढ

(Signature)
श्री. बाबकाश महायय दार
विधि... को पत्र है ।

(Signature)
श्री. बाबकाश महायय दार
विधि... को पत्र है ।

(Signature)
श्री. बाबकाश महायय दार
विधि... को पत्र है ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए।

7/10/25
पत्रावली पेश। वकीलवादी उप.। ~~काम~~
बलम क्रिक 17/10/25 को पेश की।

S.D.O.

17/10/25
..... अभिभाषक मण्डल ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक 4/11/25
को पेश हो
S.D.O.

04-11-25

पत्रावली पेश। भूलवाद 09RS
non-compliance के तहत खारिज
किया जा चुका है। अला प्राथमिक
पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद
की जाती है। पत्रावली नम्बर से
कम होकर बाक शर्ति भूलवाद के
साथ सेलग्न हो।

S.D.O.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए।


7/10/25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप
वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 17/10/25 को
पेश हो।


S.D.O.

17/11/25
... विभागाध्यक्ष कार्यालय ने कार्य
सम्पन्न किया है। दिनांक ... 4/11/25
को पेश हो।
S.D.O.

04.11.25

पत्रावली पेश। वकील वादी उप
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली लम्बे समय से साक्ष्यवादी
में संकित है। अतः पत्रावली 09RS
non-compliance के तहत खारिज
किया जाती है। पत्रावली नम्बर से
कम हो कर काफ़ शर्ति जमा हो।


S.D.O.